दिनांक 07.02.2017 को माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण पर्षद की बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थितिः— पंजी के अनुसार

कार्यवाही

सदस्यों के अभिवादन के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, के द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण पर्षद की आहूत आज की बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी ।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, ने बताया कि राज्य में कौशल प्रशिक्षण के संबलन के लिए राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है । पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0सी0भी0टी0 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यकमों की स्वीकृति के संबंध में बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

1. गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि की गयी ।
2. सर्व सम्मति से राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0सी0भी0टी0 के अन्तर्गत् संचालित व्यवसायों की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी (अनुलग्नक—1) ।
3. निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में राज्य में खोले जानेवाले नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एस0सी0भी0टी0 के अन्तर्गत् व्यवसायों का चयन के लिए माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना सक्षम होंगे एवं इसकी स्वीकृति राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण पर्षद से प्राप्त कर लेंगे ।
4. समय—समय पर स्वीकृति व्यवसायों की समीक्षा कर राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण पर्षद का अनुमोदन लिया जायेगा ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

प्रधान सचिव
—सह—
उपाध्यक्ष
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— टी2/नामां—41/2016 399 पटना, दिनांक 13.02.17.

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

उप निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा
बिहार, पटना ।